न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— कुसुमलता चोहान्, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 56./2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. .सज्जनसिह पुत्र भंवरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी कारिगरों की ढीमडी बगडी नगर तहसील सोजत		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रार्थी उप0
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी उप0

–: निर्णय :–

दिनांक – 09/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम .बगडी चक द्वितीय .तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 3166 रकवा 0.8800 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की जाति अन्य दस्तावेजात में रावणा राजपुत दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भाविक भूलवश रावणा राजपुत के स्थान पर राजपुत जाति दर्ज कर दी गई प्रार्थी उक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाकर पुनः जाति रावणा राजपुत के स्थान पर राजपुत दुरूस्त करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम .बगडी चक द्वितीय तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 3166 रकवा 0.8800 हैक्टर की कृषि भूमि के वर्तमान खाता में प्रार्थी की जाति राजपुत के स्थान पर रावणा राजपुत दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्ये प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित कर अन्य पैराज कानूनी होना अंकित किया है।

तहसीलदार सोजत से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट पेश कर वांछित ईश्तदुआ अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई। बहस के दोरान अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की अपनी जाति अन्य दस्तावेजात में रावणा राजपुत दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भाविक भूलवश रावणा राजपुत के स्थान पर राजपुत जाति दर्ज कर दी गई प्रार्थी उक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाकर पुनः जाति रावणा राजपुत के स्थान पर राजपुत दुरूस्त करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सपुष्टि होती हे। लिहाजा वादस्थ भूमि में प्रार्थी की जाति राजपुत के स्थान पर पुनल रावणा राजपुत इद्राज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम .बगडी चक द्वितीय तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 3166 रकबा 0.8800 हैक्टर हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति "राजपुत" के स्थान पर रावणा राजपुत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner